बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :–3/अ0प्र0–1–164/2014 44 /पटना, दिनांक :– 9.7.2020

श्री सत्य नारायण पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल–2, खगड़िया के विरूद्ध कार्य प्रमंडल–2, खगड़िया अन्तर्गत पदस्थापन काल (2010–2013) में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत खगड़िया के ऑफिसर कॉलोनी के नजदीक पार्क निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता के लिए निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5316 अनु0 दिनांक 20.10.2014 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 4722 अनु0 दिनांक 22.12.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री पासवान के पत्रांक शून्य दिनांक 10.02.2015 से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश सं0 373–सह–पठित ज्ञापांक 3072 दिनांक 13.10.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसके निमित मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 1332 अनु0 दिनांक 11.02.2019 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया। तद्‌लोक में संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत विभागीय पत्रांक 1866 अनु0 दिनांक 04.07.2019 द्वारा श्री पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. श्री पासवान के पत्रांक शून्य दिनांक 19.11.2019 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा मात्र द्वितीय चालू विपत्र तक का ही भुगतान किया गया है। साथ ही श्री पासवान द्वारा यह भी कहा गया कि संवेदक द्वारा कराये गये कार्य की गुणवत्ता सही नहीं रहने के कारण इसकी मापी नहीं ली गई एवं इसकी मौखिक सूचना संबंधित सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को दी गई थी।

5. श्री पासवान द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रश्नगत योजना वर्ष 2010–11 का है तथा तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा इसकी जाँच दिनांक 22.07.2014 को की गई थी। जाँच की तिथि को प्रश्नगत योजना के तहत PCC सड़क का निर्माण Specification के अनुसार संपादित नहीं कराने के कारण कई जगहों पर दरार पाया गया एवं जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मापी पुस्त में दर्ज प्रविष्टियों के विरूद्ध किये गये कार्य के भुगतान में रू0 1,84,079/– (एक लाख चौरासी हजार उन्नासी रूपये मात्र) का भुगतान संवेदक को फर्जी मापी दिखाकर किया गया है। इस प्रकार समीक्षोपरांत श्री पासवान का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है तथा श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है।

6. अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में श्री सत्य नारायण पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल–2, खगड़िया सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(iii) एवं 14(iv) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) समानुपातिक राशि रू० 46,020/– (छयालिस हजार बीस रूपये मात्र) की वसूली।

(ii) असंचायत्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

09/07/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–164/2014 1297 /पटना, दिनांक :– 9.7.2020

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/07/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–164/2014 1297 /पटना, दिनांक :– 9.7.2020

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जिला पदाधिकारी, खगड़िया/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर/सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम/गोगरी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–12, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री सत्य नारायण पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल–2, खगड़िया सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/07/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–164/2014 1297 /पटना, दिनांक :– 9.7.2020

प्रतिलिपि:– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/07/2020

अभियंता प्रमुख